BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 26 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी की घटना कारित करने के आरोपी को 04 वर्ष 07 माह 11 दिन का कारावास की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमरवीर पुत्र लालसिंह निवासी रुड बांगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत मधुमक्खी के डिब्बे चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर दिनांक 10-09-2015 को मुअसं- 253/15 धारा 379,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा दिनांक 23.01.2016 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 26.11.2024 को न्यायाधीश श्री यज्ञेश सोनकर (मा0 न्यायालय एसीजे(जेडी)जेएम खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमरवीर को 04 वर्ष 07 माह 11 दिन का कारावास से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्रीमती नेहा चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर